<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 02/2020 (अपील नामा)
GCMS No. 2020/00013

अनवान

1. श्री लाला पिता दौला भील, निवासी उपलाफला खाण्ड़ीओवरी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री बाबूलाल पिता पदमा भील, निवासी उपलाफला खाण्ड़ीओवरी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री कन्हैयालाल पिता दौला भील उर्फ श्री कन्हैयालाल पिता कचरा भील, निवासी उपलाफला खाण्ड़ीओवरी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री सत्यप्रकाश व्यास, अधिवक्ता अपीलान्ट्स
2. श्री कन्हैयालाल पिता दौला भील, रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता

<u>अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>
<u>अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 128 तहसीलदार खेरवाड़ा,</u>
<u>आदेश दिनांक 25.11.1978</u>

*** <u>निर्णय</u> ***

दिनांक– 08-09-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 25.11.1978 तहसीलदार खेरवाड़ा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संवत् 2031 मे राजस्व ग्राम उपलाफला, पटवार हल्का खाण्ड़ी ओवरी, तहसील खेरवाड़ा मे कचरा पिता नाथा का एक तनहा खाता संख्या 10 मे 13 आराजीयात 4 बीघा 17 बिस्वा और दौला पिता लखमा के साथ एक शामलाती खाता संख्या 11 मे 3 आराजीयात का रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा दर्ज थी। अपीलार्थी संख्या 1 दौला पिता लखमा का पुत्र एवं अपीलार्थी संख्या 2 दौला पिता लखमा के पुत्र पद्मा की एकमात्र [illegible] खाता संख्या 11 मे उक्त दोनो का 1/2–1/2 हिस्सा था। नवम्बर 1974 के आस पास कचरा की देहान्त हो गया एवं कचरा पिता नाथा की विरासत उसकी बेटी धूली के नाम फैसल करने का नामान्तरकरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:26 IST
Reason: SelfAttested

41 ग्राम पंचायत खाण्ड़ीओवरी ने दिनांक 23.11.1974 को निर्णित किया। धुली बेवा कचरा द्वारा दिनांक 08.08.1977 को कन्हैयालाल पिता दौला को पंजीकृत गोदनामा से गोद लेने की रिपोर्ट पर कन्हैयालाल पिता दौला की वल्दियत बदल जाने से नये नाम कन्हैयालाल पिता कचरा के नाम से एक नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 02.11.1977 को निर्णित किया गया। नवम्बर 1978 के आस पास दौला का देहान्त हो गया। दौला पिता लखमा के देहान्त के समय उसके चार अलग–अलग खाता संख्या 47, 48, 49 एवं 66 मे दर्ज आराजीयात दिनांक 25.11.1978 को एक नामान्तरकरण संख्या 128 निर्णित किया गया। उक्त नामान्तरकरण से दौला की विरासत उसके पुत्र कन्हैयालाल, पद्मा, नाना एवं लाला के नाम निर्णित की गई, जबकि कन्हैयालाल तो कचरा के गोद चला गया और उसका जन्म के मूल परिवार से हमेशा के लिये नाता टूट गया था, इसलिये उसका नाम नामान्तरकरण मे नहीं आना चाहिये था। उक्त नामान्तरकरण न्याय, नियम एवं विधि के सर्वथा विपरित होने से अपास्त होने योग्य हैं। गोद जाने वाले व्यक्ति का अपने जायन्दा पिता की जायदाद मे हमेशा के लिये तमाम हित और अधिकार समाप्त हो जाते हैं। गोद चले जाने से विपक्षी संख्या 1 कन्हैयालाल श्री कचरा का वारिस बन गया। इसके आधार पर उनकी बदली हुई वल्दियत का नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 02.11.1977 को निर्णित किया जा चुका हैं। ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण संख्या 128 विधि विहिन कार्यवाही हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 25.11.1978 को निरस्त किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित हुए एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई एवं प्रकरण मे सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। प्रकरण मे सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट्स अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रांरभ करते हुए अपीलान्ट्स अधिवक्ता ने अपनी अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अनुरोध किया कि तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 25.11.1978 त्रुटिपूर्ण खोला गया है। श्री कन्हैयालाल पिता दौला की वल्दियत कचरा को गोद चले जाने से बदल चुकी हैं। ऐसी स्थिति मे दौला की सम्पत्ति मे उसका कोई अधिकार निहित नहीं रहता हैं। हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 मे दत्तक के परिणाम मे भी उक्त तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 25.11.1978 को निरस्त किया जावें।

विपक्षी संख्या 1 श्री कन्हैयालाल पिता दौला द्वारा श्री कचरा के गोद जाना स्वीकार किया एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त कचरा की [illegible] सम्पत्ति मे हक लिया जाना भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:26 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार किया एवं नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 25.11.1978 मे दौला की मृत्यु के उपरान्त हिस्सा प्राप्त करने का कथन स्वीकार किया, किन्तु विपक्षी संख्या 1 द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि उसे दौला एवं कचरा की मृत्यु की सही दिनांक एवं वर्ष ज्ञात नहीं हैं एवं पत्रावली पर भी मृत्यु प्रमाण पत्र की कोई सत्यापित प्रति अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हैं। दौला की विरासत से प्राप्त भूमि पर उसके द्वारा मकान का निर्माण किया गया है एवं उसमे वह परिवार सहित निवास कर रहा हैं। अपीलान्ट्स द्वारा जानबुझकर लगभग 43 वर्ष उपरान्त उक्त अपील पेश की है, जो मयाद बाहर है। धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अपीलान्ट्स द्वारा उक्त नामान्तरकरण की जानकारी न होने का उल्लेख किया है, जो गलत हैं, क्योंकि उक्त नामान्तरकरण संख्या 128 के द्वारा ही भूमि विरासत से दौला के वारिसान के खाते दर्ज हुई है, जिसमे अपीलान्ट्स का नाम भी है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा यह भी अनुरोध किया कि तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा आदेश कमांक/लो.अ./75 दिनांक 23.05.2018 द्वारा बटवाडा आदेश भी पारित किया गया है, जिसमे सहमति स्वरूप अपीलान्ट्स के हस्ताक्षर मौजुद हैं इससे यह स्पष्ट है कि कथित नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट्स को प्रारंभ से है एवं एक ओर तो उसके द्वारा सहमति बटवारे पर हस्ताक्षर किये जा रहे है एवं दुसरी ओर नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतु अपील की जा रही हैं। दोनो तथ्यो मे विरोधाभास होने से कथित अपील सव्यय खारिज की जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए अनुरोध किया कि राजस्व ग्राम उपलाफला, खाण्ड़ीओवरी के नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 25.11.1978 श्री दौला पिता लखमा की मृत्यु हो जाने से दौला पिता लखमा के चार वारिस कन्हैयालाल, पद्मा, नाना एवं लाला के पक्ष मे खोला जाना अवगत कराया।

प्रकरण मे उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील, नामान्तरकरण की प्रति एवं अन्य दस्तावेज आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 25.11.1978 की प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्व ग्राम उपलाफला, खाण्ड़ीओवरी के खाता संख्या 47, 48, 49 एवं 66 मे अंकित खातेदार की मृत्यु के उपरान्त दौला पिता लखमा के चार वारिस कन्हैयालाल, पद्मा, नाना एवं लाला के पक्ष मे कथित नामान्तरकरण पारित किया गया हैं, एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री कन्हैयालाल पिता दौला के गोद चले जाने से वल्दियत बदल जाने से नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 02.11.1977 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे निर्णित किया जा चुका हैं। प्रकरण मे यह तथ्य स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 02.11.1977 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे वल्दियत बदल जाने से पूर्व मे खुला है एवं नामान्तकरण संख्या 128 दिनांक 25.11.1978 दौला पिता लख्मा की मृत्यु उपरान्त खोला गया है। अर्थात् यह तथ्य स्पष्ट है कि कथित नामान्तरकरण वाल्दियत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:26 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण पश्चात खुला है, किन्तु दौला का निधन कचरा से पूर्व हुआ हो इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है। पत्रावली पर न तो कचरा का मृत्यु प्रमाण पत्र सलंग्न किया गया है एवं न ही दौला का मृत्यु प्रमाण पत्र सलंग्न है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि दौला एवं कचरा मे से किस व्यक्ति की मृत्यु पूर्व हुई हैं। हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 मे दत्तक के परिणाम स्पष्ट रूप से वर्णित हैं, किन्तु पत्रावली मे मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति सलंग्न न होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त परिधि मे आना स्पष्ट नहीं होता हैं। अपीलान्ट्स का कथन है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 128 मे उसे नही सुना जाने से उक्त नामान्तरकरण की जानकारी उसे विलम्ब से हुई है, जबकि दौला की मृत्यु उपरान्त खोले गये नामान्तरकरण मे भूमि अपीलान्ट्स के खाते भी विरासत से दर्ज होना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति मे कथित नामान्तरकरण की जानकारी प्रारंभ से ही अपीलान्ट्स को होने के कथन को अस्वीकार नही किया जा सकता है। इस प्रकार विलम्ब का समुचित कारण भी अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत न करने से मयाद के बिन्दु पर भी उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार खेरवाड़ा के समक्ष अपीलान्ट्स द्वारा उपस्थित हो आपसी सहमति से बटवांडा भी कराया गया है जिसका प्रकरण संख्या 01/2018 होकर आदेश क्रमांक/लो.अ./75 दिनांक 23.05.2018 है। अत समग्र तथ्यों पर विवेचन उपरान्त अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार की जाकर मौजा उपलाफला खाण्ड़ीओवरी, तहसील खेरवाड़ा की अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 25.11.1978 को यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:26 IST
Reason: SelfAttested